न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 45/2025

अनवान : –

1. रामनिवास पुत्र मदनलाल जाति कलाल निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. पन्नालाल पुत्र मदनलाल जाति कलाल निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रामगढ़ तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक फेफाना/नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़। ।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 27/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 113/103 के ख0न0 197, 218/2 की कुल 8.1310 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायलान की मुश्तरका खाता की भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि सायल व गैरसायलान की मुश्तरका खाता की भूमि है तथा वादी व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज है एवं मुश्तरका रूप से रकम राज अदा करते आ रहे हैं। गैरसायल बिना विभाजन करवाये भूमि की किस्म परिवर्तित करना चाहते है एवं ऐयरटेल कम्पनी का टावर लगाना चाहता है। जिससे प्रदुषण फेलेगा एवं श्वास, दमा जैसे रोग होने की पुरी संम्भावना है। भूमि मुश्तरका होने के कारण से गैरसायलान आये दिन सायल को तंग परेशान करता रहता है सींव डोल से सम्बन्धित विवाद करता रहता है व सायल के कब्जा काश्त में दखल अंदाजी करता है। सायल विवाद को टालने की गर्ज से वादग्रस्त भूमि का खाता व लगान अलग–अलग कायम करवा पाने का अधिकारी है।

गैरसायलान जो कि काफी तेज तर्रार व झगड़ालु किस्म के व्यक्ति है तथा उपरोक्त भूमि का बिना खाता विभाजन करवाये गैरसायल बिना विभाजन करवाये भूमि की किस्म परिवर्तित करना चाहते है एवं ऐयरटेल कम्पनी का टावर [illegible] चाहता है यदि गैरसायलान अपनी योजना में कामयाब हो जाते है तो सायल को अपूरणीय क्षति [illegible] जिसकी बाद में किसी भी सूरत में पूर्ति नहीं हो सकेगी इसलिए सायल [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा पा[illegible]वाना चाहता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:53:10 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कि वे बिना खाता विभाजन करवाये भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नही करे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 113/103 के ख0न0 197, 218/2 की कुल 8.1310 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में विशेष हिस्सा/खसरा का बेचान न करे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित शेष अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की गैरसायल बिना विभाजन करवाये भूमि की किस्म परिवर्तित करना चाहते है एवं ऐयरटेल कम्पनी का टावर लगाना चाहता है। जिससे प्रदुषण फेलेगा एवं श्वास, दमा जैसे रोग होने की पुरी संम्भावना है। भूमि मुश्तरका होने के कारण से गैरसायलान आये दिन सायल को तंग परेशान करता रहता है सींव डोल से सम्बन्धित विवाद करता रहता है व सायल के कब्जा काश्त में दखल अंदाजी करता है। इसलिए गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया की वाद खाता विभाजन का है। वाद भूमि अप्रार्थीगण द्वारा किसी विशेष हिस्से का बेचान नही किया जा रहा है एवं न ही गैरसायलान द्वारा भूमि का अकृषि उपयोग किया जा रहा है। उक्त बिन्दुओं के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर मनन किया एवं हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 113/103 के ख0न0 197, 218/2 की कुल 8.1310 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायलान मुश्तरका खातेदार काश्तकार है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि [illegible] अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी [illegible] खाता विभाजन करवाये उक्त भूमि में बिना संपरितर्वतन करवाये अकृषि कार्य में उपयोग [illegible] लिया जा हरा है लेकिन प्रार्थी द्वारा अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:53:10 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को अकृषि कार्य में उपयोग में लिया जा रहा हो प्रार्थी द्वारा केवल कथन किया गया है एवं कथनों के आधार पर प्रार्थी न्यायालय से अनुतोष पाने का अधिकारीन नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 07.03.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/11/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:53:10 IST
Reason: SelfAttested